भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3286

(दिनांक 20.03.2026 को उत्तर देने के लिए)

केरल में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक

3286. श्रीमती सागरिका घोष

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चार फिल्मों के प्रदर्शन पर आपत्ति जताने और उसे रोकने के लिए मंत्रालय ने कौन-से विशिष्ट कारण बताए हैं;

(ख) सेंसर छूट प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या यह रोक किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का परिणाम थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): केरल अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्मों के प्रदर्शन हेतु छूट प्रदान करने का अनुरोध सूचना और प्रसारण मंत्रालय को 03.12.2025 को प्राप्त हुआ। विद्यमान नीति के अनुसार अनुरोध की जांच के उपरांत मंत्रालय द्वारा 12.12.2025 को 154 फिल्मों, 15.12.2025 को 14 फिल्मों, 16.12.2025 को 9 फिल्मों तथा 17.12.2025 को 3 फिल्मों को छूट प्रदान की गई, जो छूट अनुरोधों के निस्तारण हेतु निर्धारित 15 दिनों की समय-सीमा के भीतर था। अतः छूट प्रमाणपत्र जारी करने में कोई विलंब नहीं हुआ।

विद्यमान निर्देशों के अनुसार, किसी भी फिल्म समारोह के लिए प्रमाणन प्रक्रिया से छूट हेतु आवेदन यथासंभव एक माह पूर्व, किन्तु कम से कम आयोजन से 15 दिन पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए।

केरल अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्मों के प्रदर्शन हेतु छूट प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदन की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की गई और छूट प्रदान की गई।
